न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : आशाराम डूडी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 148/2017

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
बाबूलाल पुत्र शंकरलाल, जाति सरगरा, निवासी निम्बोल, तहसील जैतारण, जिला पाली।		राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भूमिधारी जैतारण।

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–
श्री मोहम्मद शरीफ काजी, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स
सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांकः– 26.03.2019

अपीलान्ट्स की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76 राज भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत राजस्व अपील संख्या 38/2017 में न्यायालय जिला कलक्टर, पाली द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.04.2017 एवं न्यायालय तहसीलदार जैतारण द्वारा प्रकरण संख्या 321/2016 में पारित आदेश दिनांक 03.10.2016 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि तहसीलदार जैतारण ने अपीलाण्ट के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज कर ग्राम निम्बोल के खसरा नम्बर 234 रकबा 1.00 बीघा किस्म गै0मु0 गोचर की भूमि पर संवत 2073 से अनाधिकृत कब्जा करने के सम्बन्ध में नोटिस जारी किया तथा दिनांक 03.10.2016 को तारीख पेशी नियत की गई। इसके पश्चात दिनांक 03.10.2016 को आदेश पारित करते हुए धारा 91 (2) के तहत पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानते हुए अपीलाण्ट पर जुर्माना आरोपित किया तथा साथ ही तीन माह के सिविल कारावास से दण्डित किया। अपीलांट द्वारा उक्त आदेश विरूद्ध अपील प्रथम जिला कलक्टर महोदय पाली के समक्ष प्रस्तुत की, जिसे प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय द्वारा खारिज करते हुए अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत रखा। जिससे व्यथित होकर उक्त अपील हाजा न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस बाबत किसी प्रकार की जांच नही की गई कि अपीलाण्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में परिलक्षित होता है अथवा नही ? तथा न ही इस प्रकार के कोई साक्ष्य सबूत ही पत्रावली पर उपलब्ध

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

थे। इस सम्बन्ध में न तो पटवारी हल्का के बयान कलमबद्ध किये गये किन्तु अपीलांट को जिरह का कोई अवसर प्रदान किये बिना पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए जैर अपील आदेश के जरिये अपीलाण्ट को तीन माह के सिविल कारावास का दण्ड दिया गया है, जो विधि विरूद्ध है। पश्चातवर्ती अतिक्रमी उसे माना जाता है, जिसके विरूद्ध पूर्व में अतिक्रमण करने बाबत प्रकरण चला हो। अपीलाण्ट के विरूद्ध पूर्व में कोई प्रकरण नही चला था, इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरूद्ध रूप से जैर अपील आदेश पारित किया गया है। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मौके पर कब्जा छोडने का निवेदन करते हुए शपथ पेश करने का निवेदन किया। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्य पर ध्यान न देते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है। इस संबध में_माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित विभिन्न न्याय दृष्टान्तो में यह प्रतिपादित किया कि ''जब अपीलार्थीगण द्वारा हल्का पटवारी द्वारा रिर्पोट किये गये अतिक्रमित स्थल से कब्जा हटाने बाबत रिर्पोट पेश कर दी जाए अथवा इस सम्बन्ध में शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया जावे तो अपीलार्थीगण के विरूद्ध पारित सजा के दण्डादेश को अपास्त किया जाना लाजमी है'' किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर दिये जैर अपील आदेश पारित किया है। जो अपास्त योग्य है। अतः प्रकरण की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अपील स्वीकार करावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश को अपास्त करावे। वकील अपीलांट द्वारा अपने कथनो के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश किये– (1)आर.आर.डी. 1993 अम्बालाल बनाम सरकार व अन्य (2) आर.आर.डी 1996 रामनारायण बनाम सरकार (3) आर.आर.डी 2002 पीताराम बनाम सरकार।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम निम्बोल के खसरा नम्बर 234 रकबा 1.00 बीघा किस्म गै0मु0 गोचर की भूमि राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। उक्त भूमि पर अपीलाण्ट द्वारा अनाधिकृत अतिक्रमण करने के कारण अपीलाण्ट के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही करते हुए तीन माह के सिविल कारावास एवं नियमानुसार जुर्माना आरोपित कर दंडित किया गया है। चूंकि अपीलाण्ट द्वारा किया गया अतिक्रमण पश्चातवर्ती अतिक्रमण की श्रेणी में परिलक्षित होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही विधि सम्मत प्रक्रिया अपनाते हुए की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपीलाण्ट की अपील खारिज करावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया। जैर अपील आदेश से सम्बन्धित प्रकरण की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि ग्राम निम्बोल के खसरा नम्बर 234 रकबा 1.00 बीघा किस्म गै0मु0 गोचर की भूमि राजस्व रेकर्ड में सरकारी खाते में दर्ज है। पटवारी हल्का निम्बोल द्वारा तहसीलदार जैतारण के समक्ष इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की कि अपीलांट द्वारा उपरोक्त भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर बाडा बनाकर अतिक्रमण किया है, उक्त रिर्पोट के आधार पर तहसीलदार जैतारण द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर करते हुए दिनांक 03.10.2016 की तारीख पेशी नियत की। उक्त आदेश की पालना में जो नोटिस जारी किया गया,

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

उसके पश्चात आदेश दिनांक 03.10.2016 द्वारा जुर्माना आरोपित किया तथा आदेश बेदखली पारित किये, साथ ही पश्चातवर्ती अतिक्रमण पाये जाने पर तीन माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया। इस आदेश के विरूद्ध अपीलाण्ट द्वारा न्यायालय जिला कलक्टर पाली के समक्ष अपील दायर करवाई, जिसमें मातहत अदालत द्वारा अपीलाण्ट की अपील खारिज करते हुए परीक्षण न्यायालय का निर्णय बहाल रखा। उक्त दोनों ही निर्णयों से व्यथित होकर अपीलाण्ट द्वारा हस्तगत अपील प्रस्तुत की है। इस सम्बन्ध में परीक्षण न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि तहसीलदार जैतारण द्वारा जो नोटिस जारी अपीलांट को जारी किया गया उक्त नोटिस अपीलांट के पुत्र द्वारा तामिल प्राप्त हुआ जो कि सम्यक तामिल की श्रेणी में आता है। इसके तहसीलदार जैतारण की पत्रावली पर अपीलांट के स्वंय के हस्ताक्षर मौजूद है जिससे यह स्पष्ट है कि अपीलांट को परीक्षण न्यायालय में 91 से सम्बधित कार्यवाही का पूर्णतया ज्ञान था। इसके अतिरिक्त परीक्षण न्यायालय द्वारा जैर अपील वादस्थ भूमि पर अपीलाण्ट्स का पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानते हुए तीन माह के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किया है, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी विधिवत माना है, जबकि पत्रावली पर ऐसा कोई ठोस प्रमाण ही मौजूद नहीं था, जो जैर अपील वादस्थ भूमि पर अपीलाण्ट्स का पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित करता हो तथा न ही ऐसी कोई शहादत उपलब्ध थी, जिससे यह प्रमाणित होता हो कि उक्त भूमि पर अपीलाण्ट्स द्वारा दुबारा कब्जा किया हो, क्योंकि परीक्षण न्यायालय की पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे यह साबित होता हो कि उक्त भूमि से अपीलाण्ट्स को पूर्व में बेदखल किया गया हो। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा आर0आर0टी0 2001 (2) पेज 1163 बजरंगा बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान में यह व्यवस्था प्रदान की है कि "सिविल कारवास की सजा से दण्डित करने के लिए तहसीलदार एवं अधीनस्थ न्यायालयों के लिए आवश्यक था कि पूर्व में आराजी से प्रार्थीगण को बेदखल किया गया एवं जो बेदखली की कार्यवाही चली, उसके आदेश की प्रमाणित सत्य प्रतिलिपी रेकार्ड पर प्रस्तुत करने, उसके पश्चात् बेदखली के आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपी रेकार्ड पर लेते एवं उसके आधार पर सिविल कारावास की सजा का आदेश पारित कर सकते थे, बिना साक्ष्य के ऐसा आदेश पारित नहीं किया जा सकता था।" इसी प्रकार आर0आर0डी 1993 पेज संख्या 585 अम्बालाल बनाम सरकार व अन्य के अनुसार "Alleged trespass over land of panchayat Samiti- Proceedings could be initiated only on request of Panchayat Samiti or after due notice to it - No proof of previous evction- Action for subsequent trespass, not warranted "यह सिद्धान्त हस्तगत प्रकरण पर पूर्णतः चस्पा होता है। हस्तगत प्रकरण में भी पश्चातवर्ती अतिक्रमण किसी भी रूप में साबित नहीं होता है। इसके अतिरिक्त अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय एवं हाजा न्यायालय के समक्ष कब्जा हटाने के संबध में शपथ पत्र प्रस्तुत करने हेतु निवेदन किया। इस संबध में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित निर्णय आर.आर.डी 2002 पीताराम बनाम सरकार के अनुसार "Revision against order of R.A.A.-Held, order of civil imprisonment against petitioner is pardobed provided he should submit affidavit to the concerned Tehsildar that he has left possession of the disputed land and deposited the imposed penalty- Apart from this additional penalty of Rs. 1000/- should be deposited otherwise order of subordinate court dt. 29.02.2001 shall prvail if condition is not fulfilled" उक्त न्यायिक दृष्टान्त में यह प्रतिपादित किया कि "जब अपीलार्थीगण द्वारा हल्का पटवारी द्वारा रिर्पोट किये गये अतिक्रमित स्थल से कब्जा हटाने बाबत रिर्पोट पेश कर

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

दी जाए अथवा इस सम्बन्ध में अपीलांट द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया जावे तो अपीलार्थीगण के विरूद्ध पारित सजा के दण्डादेश को अपास्त किया जाना लाजमी है'' उक्त न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण पर पूर्णतया चस्पा होते है। अपीलांट द्वारा हाजा न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दौराने बहस वादग्रस्त आराजी से अपना कब्जा हटाने बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत करने का निवेदन किया है। अपीलांट के कथनो से उक्त न्यायिक दृष्टान्त पूर्णतया प्रभावित होते है। जिससे अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार किया जाना तथा अधीनस्थ न्यायालयो द्वारा अपीलांट को दी गई सिविल कारावास की सजा के आदेश को इस शर्त पर निरस्त किया जाना उचित समझते है कि प्रार्थी इस आदेश के पारित होने की दिनांक से एक माह की अवधि में संबंधित तहसीलदार जैतारण के समक्ष पुनः इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करे, कि उसके द्वारा वादग्रस्त आराजी से अपना कब्जा हटा लिया गया है और उसके द्वारा भविष्य में किसी भी राजकीय भूमि पर पुनः अतिक्रमण नही किया जावेगा तथा तहसीलदार जैतारण उक्त शपथ पत्र में अंकित तथ्यों का सत्यापन करेगा। यदि प्रार्थी ऐसा करने में कोई चूक करता है तो अधीनस्थ न्यायालयो द्वारा पारित सिविल कारावास की सजा के आदेश यथावत रहेंगे।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार जैतारण द्वारा मुकदमा संख्या 321/2016 में पारित निर्णय दिनांक 03.10.2016 एवं जिला कलक्टर पाली द्वारा राजस्व अपील संख्या 38/2017 में पारित निर्णय दिनांक 11.04.2017 में अपीलांट को दी गई 90 दिवस की सिविल कारावास की सजा को उपरोक्त शर्त की पालना में निरस्त किया जाता है तथा अपीलांट पर लगाई गई शास्ति एवं बेदखली के आदेश को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 26.03.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशाराम डूडी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली